[SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY]

packages. Training Division is indulging in indiscipline and demoralising the trainers' community as a whole. There are other irregularities in allocating training programmes. There is no policy of deployment of trainers in various parts of the country.

Therefore, I would request the Government to initiate measures to remove disparity in implementation of the trainers' development policy. The Government may immediately review the policy of trainers' development and take suitable action to implement training for all.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given on 7th May, 2012, to Starred Question No. 423 regarding 'Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, कल मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने एक डिटेल्ड खत मुझको भेजा और मैं उसको देखकर यह सोचने लगा कि इस पर कैसे रिएक्ट करूं। मैं बार-बार यह कहता हूं कि माइनॉरटी मिनिस्ट्री सच्चर कमेटी का हवाला देती है कि सच्चर कमेटी की रिक्मेंडेशंस के ऊपर हमने माइनॉरटी के लिए यह-यह किया है। सच्चर कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि इस देश में मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, यह पता चल सके। सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि मुसलमान इस देश में दलितों के बराबर नीचे पहुंच गया है और उसके लिए कोई-न-कोई चाराहगो करना होगा। हमारी सरकार ने उसको कहा कि हम इम्पिलमेंट कर रहे हैं और इसके लिए एक माइनॉरटी मिनिस्ट्री बनाई है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाने के बाद कहा कि हम 15 सूत्री कार्यक्रम ला रहे हैं जिसमें मुसलमानों को including other minorities, बहुत फायदे होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चूंकि माइनॉरिटीज में, मुस्लिम मायनॉरिटी सब से पीछे है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हें दिया जाएगा, लेकिन इस खत के आने के बाद और दसियों खुतूत और information के बाद, जो मैंने और मेरे साथियों ने collect की है, उससे यह पता चलता है कि मुसलमान को कुछ भी नहीं मिला है। सर, मुसलमानों को bifurcation के लिए हमेशा कहा गया कि आप कुछ दीजिए। मुझे मंत्री महोदय के पत्र में सबसे बेहतर चीज यह लगी और उसमें यह कहा गया कि, हमने मैट्रिक, प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी हैं। इसमें यह क्लेम किया गया है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हमने स्कॉलरशिप दी हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह फिगर कैसे बन गयी? जब आप example के तौर पर एक तीसरे दर्जे के बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं, वह पास कर के चौथे दर्जे में भी जाता है और वही बच्चा पांचवे दर्जे में भी जाता है, तो इन तीन सालों की फिगर को जोड़कर, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि 1 करोड़ 40 लाख की जो फिगर आपने दी है, वह सिर्फ उन बच्चों की है जिन्हें मिलाकर आप हर साल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हें club करके आपने दी है या 1 करोड़ 40 लाख अलग बच्चों को स्कॉलरशिप दी है? यही एक स्कीम है और इसमें आपने लिखा भी है कि 70 परसेंट मुसलमानों को दी गयी है। यह ठीक बात है और 70 परसेंट उनका शेयर बनता है। यह बिल्कुल acceptable है। फिर यह कहा गया कि हम और स्कीम लाए हैं जिसके लिए हमने 90 जिले तय किए हैं और इनमें 3,780 करोड़ रुपए डवलमेंट के लिए दिए हैं। आपने माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया! जहां लाखों-लाख का बजट हो, आपने कहा कि हमने 3,780 करोड़ रुपए दे दिए हैं और उसमें से भी 840 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यह हमारी हैसियत है। यह कहा गया कि ये वे जिले

हैं जहां concentrated muslim population है। उसके बाद कहा गया कि हमने 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बहुत-सी योजनाएं दी हैं। आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेंट को दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डवलपमेंट को दी हैं, चाइल्ड डवलपमेंट मिनिस्ट्री को दी हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमको मिला क्या है? मैं बराबर यह पूछ रहा हूं कि आप हमको क्या दे रहे हैं। यह कहा गया कि हमने इतनी स्कीम्स sanctioned कर दी हैं और बहुत-सी जगहों पर कहा गया है कि इन पर विचार हो रहा है। मैं दिल्ली स्टेट के माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी में शामिल किया गया है। वे 2 परसेंट हैं, लेकिन उन्हें 50 परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है। मैं यह पार्लियामेंट में बोल रहा हूं और इसकी सनद मेरे पास है। सरदार 5 परसेंट हैं, उन्हें 17 परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है, वहीं 70 परसेंट मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें एक परसेंट की फाइनेंशियल एड दी गयी है। हमेशा यह पूछा गया है कि आप bifurcate कर के बताइए कि आप हमें क्या देना चाहते हैं और हमेशा यह कहा गया कि हम डाटा कलैक्ट कर रहे हैं। अरे साहब, कहीं कोई बम ब्लास्ट होता है और कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो पूरे मुसलमानों के खानदान के डाटा आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको यह डाटा नहीं मिल रहा है कि कितने मुसलमानों को मकान दिए हैं? यह आपको नहीं मालूम कि कितने बच्चों को आपने दूसरी योजनाओं में भला किया है? आप जितनी योजनाएं बना रहे हैं..

उन योजनाओं का हाल यह कर रखा है कि आप कहते हैं कि हमने लेंडिंग की है, बैंकों को लोन दिया है। यदि बैंकों को लोन दिया है। यदि बैंकों को लोन दिया है, तो आप उनके नाम, पते दे सकते हैं कि उनको आपने कितना दिया है? इस मुल्क में एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी सिर्फ मुसलमान हैं या न्यूयो-बुद्धिस्ट हैं। इस मुल्क में पारसी एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, इस मुल्क में सरदार एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। अगर माइनोरिटी का रोल ला रहे हैं, तो माइनोरिटी का रोल तो आप जरूर ले आइए। आपने यह कहा, एक मिसाल के तौर पर, आपने बजट का भी एलोकेशन किया है। मैं समझता हूँ कि जब बजट रिव्यू होता है, तो बढ़ा के दिया जाता है, मगर यहां लिखा है कि 2011-12 में हमारा रिवाइज बजट, यानी जो बजट एस्टीमेट था वह 2750 का, वह 2002 का रिवाइज किया गया, यानी रिवाइज बजट कम हो गया। यहां प्रणब मुखर्जी साहब अपना बजट लाते हैं, रेलवे मंत्री भी लाते हैं, जो कि हमेशा बढ़ा कर लाते हैं और कहते हैं कि इस बजट को और बढ़ाइए, लेकिन हमें जो डिस्ट्रिब्यूशन मिला उसको भी कम किया गया।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, please conclude. Put your questions.

श्री मोहम्मद अदीब : सर, यह इतनी मोटी किताब है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : क्या करें? यह तो आज हाफ एन आवर डिस्कशन है।

श्री मोहम्मद अदीब : सर, आपने मुझे टाइम दिया है, तो यह हक़ाईक़ तो मैं बयान कर दूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अदीब साहब, यह हाफ एन आवर डिसकशन है। **...(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अदीब : सर, हाफ एन आवर डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ। आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सवालात हाउस में किए गए हैं और जो उसके जवाब दिए गए हैं, वे तो पढ़ कर सुना देने दीजिए। देखिए, एक सवाल के जवाब में बताया गया, हमारी बहुत सीनियर लीडर मोहसिना किदवई साहिबा हैं,...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : This is not a speech. अदीब साहब, आपने आठ मिनट ले लिए। You put your questions. This is Half-an-Hour Discussion.

श्री मोहम्मद अदीब : सर, इस हाउस में परसों यह जवाब दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है, जो जवाब दिया है मिनिस्ट्री ने, यह कहा गया है कि details of funds sanctioned and unutilised. यहां

[श्री मोहम्मद अदीब]

इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 परसेंट युटिलाइज नहीं हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश का यह लिखा है। बिहार का सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24,888 लाख रुपए सेंक्शन हुए, 12,044 ही खर्च हुए और 13,000 नहीं बंटे। यह उन पैसों की दुर्दशा है, जिसके ऊपर हमें कहा जाता है सेलेक्शन ऑफ मनी, माइनोरिटीज को एलोकेट होती है। यह भी कहा जाता है कि हम माइनोरिटीज के बहुत ही सपोर्टर हैं और माइनोरिटीज की हम बड़ी फिक्र कर रहे हैं। जरा सोचिए, हमने तो आप पर विश्वास किया और हमारे साथ ऐसा बड़ा सितम हुआ। बंगाल के अंदर 40 परसेंट, यानी डबल जीरो, वहां काम ही नहीं हुआ। माइनोरिटीज को अगर आप माइनोरिटीज की हैसियत से भी मानते हैं, मेरा मेन ओब्जेक्शन यह है कि माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को अगर आप माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं, देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी हो कह दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि चूंकि सच्चर कमेटी ने कहा था इसलिए हम करेंगे।

सर, जिस दिल्ली में हम रहते हैं, यहां एक बस्ती ओखला है, जिसमें पांच लाख मुसलमान रहते हैं। यहां सरकार का एक स्कूल नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। बीच में एक सड़क है, दूसरी तरफ न्यू फ्रेंड्स कालोनी है, जो हिंदुस्तान की बेहतरीन कालोनियों में से पाई जाती है। हमको आपने यह दिया है। इसी दिल्ली में सीलमपुर के इलाके में एक अस्पताल नहीं है। सिब्बल साहब की मिनिस्ट्री से यह कहा गया था कि वहां हम सरकारी स्कूल खोल रहे हैं। दिल्ली में नहीं खोला, तो आप और कहां खोलेंगे?

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अदीब साहब, This is not a discussion on that. This is a question on entrepreneurship and self-employment. You stick to the question.

श्री मोहम्मद अदीब : मैं सिर्फ दो बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। एक तो यह कि एक करोड़ चालीस लाख जो स्कॉलरशिप दी है, यह बता दें कि यह एक करोड़ चालीस लाख अलग लोगों को दिए गए हैं या वही लोग जो आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें एड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं?

दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको आगे चलाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आज कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, जिसकी स्टैंडिंग कमेटी न हो, लेकिन इन मिनिस्ट्री की कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। अगर इसको सही तरीके से channelize करना है, अगर सही तरीके से माइनॉरिटी को फलाहोबहबूद करना है, तो आपको इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी और जब भी आप पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जवाब दें, तो bifurcate करके दें कि किस कम्युनिटी को आप कितना दे रहे हैं और किस शोबे में कितना दे रहे हैं और जो आपने लिखा है कि हमने 13 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी है कि वे 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत काम करें, तो उन 13 मंत्रालयों को भी यह बताना पड़ेगा कि वे किस कम्युनिटी को कितना दे रहे हैं? अगर यह नहीं करते हैं, तो यह **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : All this does not come under this question. What is this?

श्री मोहम्मद अदीब : आप बोलने ही नहीं देते हैं **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : 12 मिनट हो गए हैं **...(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अदीब : आप बोलने ही नहीं देते हैं **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It is a Half-an-Hour Discussion. You have given notice for Half-an-Hour Discussion. You could have given notice for Short Duration Discussion. उसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे।

श्री मोहम्मद अदीब : सर, जब Short Duration का नोटिस दिया जाता है, तो उसमें डिटेल में बात होती है। मंत्रालय ने एक रात पहले मुझे यह document भेजा, आपके यहां उसको बयान करना भी मुश्किल है। यह बड़ी मुश्किल की बात है। बार-बार किससे जाकर कहें, किससे फरियाद करें?

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप नोटिस दे दीजिए **...(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अदीब : यह इलेक्शन का वक्त थोड़े ही है, यह पार्लियामेंट है **...(व्यवधान)...**

†[**جناب محمد ادیب (اتر پردیش)** : سر، کل میرے سوال کے جواب میں مائنے منتری جی نے ایک ٹائپڈ خط مجھہ کو بھیجا ہے اور میں اس کو دیکھہ کر وہ سوچنے لگا کہ اس پر کیسے رئیکٹ کروں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مائنارٹی سچّر کمیٹی کا حوالہ دیتی ہے کہ سچّر کمیٹی کی ریکمینڈیشنس کے اوپر ہم نے مائنارٹی کے لئے یہ کیا ہے۔ سچّر کمیٹی اس لئے بنائی گئی تھی کہ اس دیش میں مسلمانوں کی کیا دردشا ہے؟ سچّر کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اس دیش میں دلتوں کے برابر، نیچے پہنچ گیا ہے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی چارہ گو کرنا ہوگا۔ ہماری سرکار نے اس کو کہا کہ ہم امپلی مینٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک مائنارٹی منسٹری بنائی ہے۔ اس کے لئے ہم کانگریس پارٹی کے ہمیشہ شکرگزار رہیں گے۔ کانگریس پارٹی نے مائنارٹی منسٹری بنانے کے بعد کہا کہ ہم 15 نکاتی پروگرام لا رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کو including other minorities, بہت فائدے دیں گے۔ پرانم منسٹر صاحب نے کہا کہ چونکہ مائنارٹیز میں، مسلم مائنارٹی سب سے پیچھے ہے، اس لئے اس میں سب سے زیادہ حصہ انہیں دیا جائے، لیکن اس خط کے آنے کے بعد اور دسیوں خطوط اور انفارمیشن کے بعد، جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے کلیکٹ کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کچھہ بھی نہیں ملا ہے۔ سر، مسلمانوں کو bifurcation کے لئے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کچھہ دیجئے۔ مجھے منتری مہودے کے خط میں سب سے بہتر چیز یہ لگی اور اس میں یہ کہا گیا کہ، ہم نے میٹرک، پری-میٹرک اور پوسٹ میٹرک کے بچوں کو اسکالرشپ دی ہیں۔

† Transliteration in Urdu Script.

[جناب محمد ادیب]

اس میں یہ claim کیا گیا ہے کہ 1کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے اسکالر شپ دی ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ فیگر کیسے بن گئی؟ جب آپ example کے طور پر ایک تیسرے درجے کے بچے کو اسکالرشپ دیتے ہیں، وہ پاس کرکے چوتھے درجے میں بھی جاتا ہے اور وہی بچہ پانچویں درجے میں بھی جاتا ہے، تو اس تین سالوں کی فیگر کو جوڑ کر، میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 1کروڑ 40 لاکھ کی جو فیگر آپ نے دی ہے، انہیں club کرکے آپ نے دی ہے یا 1 کروڑ 40 لاکھ الگ بچوں کو اسکالرشپ دی ہے؟ یہی ایک اسکیم ہے اور اس میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ 70 فیصد مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے اور 70 فیصد ان کا شیئر بنتا ہے۔ یہ بالکل acceptable ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہم اور اسکیم لائے ہیں جس کے لئے ہم نے 90 ضلع طے کئے ہیں اور ان میں 3،780 کروڑ روپے ڈیولپمینٹ کے لئے دئے ہیں۔ آپ نے مائنارٹی کے لئے بہت بڑا خزانہ کھول دیا۔ جہاں لاکھوں لاکھ کا بجٹ ہو، آپ نے کہا کہ ہم نے 3،780 کروڑ روپے دے دئے ہیں اور اس میں سے بھی 840 کروڑ روپے خرچ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ وہ ضلع ہیں جہاں concentrated Muslim population ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے 15 نکاتی پروگرام کے تحت بہت سی یوجنائیں دی ہیں۔ آپ نے کہا کہ منسٹری آف رورل ڈیولپمینٹ منسٹری کو دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو

ملا کیا ہے؟ میں برابر یہ پوچھہ رہا ہوں کہ آپ ہم کو کیا دے رہیں ہیں؟ یہ کہا گیا کہ ہم نے اتنی اسکیمس sanctioned کر دی ہیں اور بہت سی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ اس پر وچار ہو رہا ہے۔ میں دہلی اسٹیٹ کے مائنارٹی فائنینشل کارپوریشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دہلی میں جین کمیونٹی کو بھی مائنارٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ 2 فیصد ہیں، لیکن انہیں 50 فیصد کی فائنینشل ایڈ دی گئی ہے۔ میں یہ پارلیمنٹ میں بول رہا ہوں اور اس کی سند میرے پاس ہے۔ سردار 5 فیصد، انہیں 17 فیصد کی فائنینشل ایڈ دی گئی ہے۔ وہیں 70 فیصد مسلمان ہیں، لیکن انہیں 1فیصد کی فائنینشل ایڈ دی گئی ہے۔ ہمیشہ یہ پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ہم ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ارے صاحب، کہیں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے اور کہیں کوئی آتنک-وادی پکڑا جاتا ہے، تو پورے مسلمانوں کے خاندان کے ڈاٹا آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ڈاٹا نہیں مل رہا کہ کتنے مسلمانوں کو مکان دئے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے بچوں کا آپ نے دوسری یوجناؤں میں بھلا کیا ہے؟ آپ جتنی یوجنائیں بنا رہے ہیں۔ ان یوجناؤں کا حال یہ کر رکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لینڈنگ کی ہے، بینکوں کو لون دیا ہے۔ اگربینکوں کو لون دیا ہے۔ اگر بینکوں کو لون دیا ہے، تو آپ ان کے نام، پتے دے سکتے ہیں کہ ان کو آپ نے کتنا دیا ہے؟ اس ملک میں ایجوکیشنلی بیک-ورڈ کمیونٹی صرف مسلمان ہیں یا نیویو بدھسٹ ہیں۔ اس ملک میں پارسی ایجوکیشنلی بیک-ورڈ نہیں ہے، اس ملک میں سردار

[جناب محمد ادیب]

ایجوکیشنلی بیک-ورڈ نہیں ہے۔ اگر مائنارٹی کا رول لا رہے ہیں، تو مائنارٹی کا رول تو آپ ضرور لے آئیے۔ آپ نے یہ کہا، ایک مثال کے طور پر، آپ نے بجٹ کا بھی ایلوکیشن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بجٹ ریویو ہوتا ہے، تو بڑھا کے دیا جاتا ہے، مگر یہاں لکھا ہے کہ 12-2011 میں ہمارا روائز بجٹ، یعنی جو بجٹ ایسٹیمیٹ تھا وہ 2750 کا، وہ 2002 کا روائز کیا گیا، یعنی روائز بجٹ کم ہو گیا۔ یہاں پرنب مکھرجی صاحب اپنا بجٹ لاتے ہیں، ریلوے منتری بھی لاتے ہیں، جو کہ ہمیشہ بڑھا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بجٹ کو اور بڑھائیے، لیکن ہمیں جو ڈسٹریبیوشن ملا، اس کو بھی کم کیا گیا۔]

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : Now, please conclude. Put your questions.

†[**جناب محمد ادیب** : سر، یہ اتنی موٹی کتاب ہے۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔ کورنین) : کیا کریں؟ یہ تو آپ آج 'ہاف این آور' ڈسکشن ہے۔

جناب محمد ادیب : سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، تو یہ حقائق تو میں بیان کر دوں۔

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔ کورنین) : ادیب صاحب، یہ 'ہاف این آور' ڈسکشن ہے ...(مداخلت)...

† Transliteration in Urdu Script.

جناب محمد ادیب : سر، 'ہاف این آور' ڈسکشن ہے، لیکن میں آپ کو صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو سوالات ہاؤس میں کئے گئے ہیں اور جو اس کے جواب دئے گئے ہیں، وہ تو پڑھ کر سنا دینے دیجئے۔ دیکھئے، ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا، ہماری بہت سینئر لیڈر محسنہ قدوائی صاحبہ ہیں،۔۔۔]

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : This is not a speech. †[ادیب صاحب، آپ نے اٹھہ منٹ لے لئے۔ You put your questions. This is Half-an-Hour Discussion.

†[**جناب محمد ادیب** : سر، اس ہاؤس میں پرسوں یہ جواب دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، جو جواب دیا ہے منسٹری نے، یہ کہا گیا ہے کہ details of funds sanctioned and unutilized.†[یہاں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں 50 فیصد utilize نہیں ہوا۔ دیکھئے، اتر پردیش کا یہ لکھا ہے۔ بہار کا سن لیجئے، انہوں نے کہا ہے کہ اترپردیش میں 24،888 لاکھہ روپے sanction ہوئے، 12،044 ہی خرچ ہوئے اور 13،000 نہیں بنٹے۔ یہ ان پیسوں کی دردشا ہے، جس کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے سلیکشن آف منی، مائنارٹیز کو ایکوکیٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم مائنارٹیز کے بہت ہی سپورٹر ہیں اور مائنارٹیز کی ہم بڑی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم نے آپ پر وشواس کیا اور ہمارے

† Transliteration in Urdu Script.

[**جناب محمد ادیب**]

ساتھہ ایسا بڑا ستم ہوا۔ بنگال کے اندر 40 فیصد، یعنی ڈبل زیرو، وہاں کام ہی نہیں ہوا۔ مائنارٹیز کو اگر آپ مائنارٹیز کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں، میرا مین آبجیکشن یہ ہے کہ مائنارٹی افیئرس منسٹری کو اگر آپ مائنارٹی افیئرس منسٹری کہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو کہہ دیجئے، لیکن ایسا مت کہئیے کہ چونکہ سچر کمیٹی نے کہا تھا اس لئے ہم کریں گے۔

سر، جس دہلی میں ہم رہتے ہیں، وہاں ایک بستی اوکھلا ہے، جس میں پانچ لاکھہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں سرکار کا ایک اسکول نہیں ہے، ایک اسپتال نہیں ہے، بیچ میں ایک سڑک ہے، دوسری طرف نیو-فرینڈس کالونی ہے، جو ہندوستان کی بہترین کالونیوں میں سے پائی جاتی ہے۔ ہم کو آپ نے یہ دیا ہے۔ اسی دہلی کے سیلم پور کے علاقے میں ایک اسپتال نہیں ہے۔ سبّل صاحب کی منسٹری سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں ہم سرکاری اسکول کھول رہے ہیں۔ دہلی میں نہیں کھولا، تو آپ اور کہاں کھولیں گے؟

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی.جے. کورئین) : ادیب صاحب،]

This is not a discussion on that. This is a question on entrepreneurship and self-employment. You stick to the question.

†[**جناب محمد ادیب** : میں صرف دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ جو اسکالرشپ دی ہے، یہ بتا دیں کہ یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ الگ لوگوں کو دئے گئے ہیں یا وہی لوگ جو اگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ایڈ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں؟

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اگے چلانا چاہتے ہیں، تو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی منسٹری کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے۔ آج کوئی ایسی منسٹری نہیں ہے، جس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نہ ہو، لیکن اس منسٹری کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا ہے، اگر صحیح طریقے سے مائنارٹی کو فلاح و بہبود کرنا ہے، تو آپ کو اس کے لئے ایک سسٹم بنانا پڑے گا، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنانی پڑے گی اور جب بھی آپ پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر جواب دیں، تو bifurcate کرکے دیں کہ کس کمیونٹی کو آپ کتنا دے رہے ہیں اور کس شعبے میں کتنا دے رہے ہیں اور جو آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے 13 منترالیوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ 15 نکاتی پروگرام کے تحت کام کریں، تو ان 13 منترالیوں کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کس کمیونٹی کو کتنا دے رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ...(مداخلت)...]

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : All this does not come under this question. What is this?

†[**جناب محمد ادیب** : آپ بولنے ہی نہیں دیتے ہیں ...(مداخلت)...

† Transliteration in Urdu Script.

†[**اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔ کورنین) :** 12 منٹ ہو گئے ہیں ...(مداخلت)...

جناب محمد ادیب : آپ بولنے ہی نہیں دیتے ہیں ...(مداخلت)...]

THE VICE-CHAIRMAN (RPOF. P.J. KURIEN) : It is a Half-an-Hour Discussion. You have given notice for Half-an-Hour Discussion. You could have given notice for Short Duration Discussion. †[اس میں آپ کو 3 گھنٹے ملیں گے۔

جناب محمد ادیب : سر، جب Short Duration کا نوٹس دیا جاتا ہے، تو اس میں ڈٹیل میں بات ہوتی ہے۔ منترالیہ نے ایک رات پہلے مجھے یہ ڈاکیومینٹ بھیجا، آپ کے یہاں اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بڑی مشکل کی بات ہے۔ بار-بار کس سے جاکر کہیں، کس سے فریاد کریں؟

اپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔ کورنین) : آپ نوٹس دے دیجئے ...(مداخلت)...

جناب محمد ادیب : یہ الیکشن کا وقت تھوڑے ہی ہے، یہ پارلیمنٹ ہے ....(مداخلت)...

[(ختم شد)]

† Transliteration in Urdu Script.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Hon. Members, it is a Half-an-Hour Discussion. It is a clarification on a particular question. You are requested to put only questions. I have nine names with me. Each Member can take two minutes. So, just put questions. Naqviji, just put questions. If you want a discussion on the Ministry of Minority Affairs, there are other ways. You can give notice. This is not an occasion for that.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह चर्चा और यह Half-an-Hour Discussion किन कारणों से हुआ है? जिस दिन माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर जवाब दे रहे थे, उस समय यह चर्चा हुई कि उनेक लिए क्या बजट है और उस बजट का कितना उपयोग इस मंत्रालय ने किया है? उस समय माननीय मंत्री जी कुछ जवाब नहीं दे पाए थे। तब सदन में यह राय बनी थी कि इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, ऐसी चर्चा 14 मार्च, 2011 को भी हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय के बारे में, उसके कामकाज के बारे में और उसमें अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। 14 मार्च, 2011 से अब 2012 आ गया, लेकिन इस एक वर्ष के दौरान गाड़ी वहीं की वहीं है। विकास की गाड़ी उस समय रेंग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय यह रुक गई है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात एक शेर के रूप में कहना चाहता हूं-

"हर बार हमको घाटा हुआ तेरे साथ में,
मिट्टी खरीदनी पड़ी सोने के भाव में।

तन ढक लिया कभी, तो कभी पेट भर लिया,
मारा गया गरीब इसी रख-रखाव में।

अब तू बुलंदियों से मुझे गालियां भी दे,
यह चूक तो हमीं से हुई है चुनाव में।"

आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करने के आपके बड़े-बड़े वायदे और इरादे हैं, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। बाद में वह आरक्षण की अफीम निकलती है और वह आरक्षण की ऐसी अफीम है, जो expired है। लगता है कि वह अंग्रेजी अफीम थी। एक कहावत है-

"तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है,
ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है।"

तो वह दवा इनको रिएक्ट कर गई, वह आरक्षण की अफीम इनको रिएक्ट कर गई और इनको उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण और उससे जुड़े हुए सवाल बार-बार उठाए जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : नक़वी जी, एक मिनट...इस Question का scope सिर्फ इतना है - 'Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities' - इसके बारे में आपको question पूछना है, तो पूछिए, वरना मैं allow नहीं करूंगा। This is not a discussion on the Ministry of Minority Affairs ...(*Interruptions*)... You see the rules. This is Half-an-

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

Hour Discussion, and the scope of the discussion is only that particular question, that is, Question No. 423 raised on 7th May ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI : on a point of order. सर, आप उस Question को मंगा लीजिए। उस Question का विषय था कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास में इस मंत्रालय का बजट क्या है और उसका क्या हुआ?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You have taken three minutes, and now, you put your questions ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, हम उस पर नहीं बोलेंगे, तो किस पर बोलेंगे? आप बताइए। All the issues are related to that question.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You put your questions, if you want. It cannot be a lecture.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : इसलिए मेरा यह कहना है **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, please conclude.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कहना नहीं, आपको पूछना है।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मैं पूछ रहा हूं। महोदय, माननीय मंत्री जी के पास कई मंत्रालय हैं। माननीय मंत्री जी की इच्छा ईमानदारी से इस मंत्रालय में काम करने की ओर इस मंत्रालय के कार्यों को आगे बढ़ाने की हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वे बोझ से काफी दबे हों और यह जो अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय है, वह अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय ad-hoc मिनिस्ट्री है। यह वर्ष 2006 में बना और उस मंत्रालय के कार्यालय को बनने में छः महीने लगे और आज भी यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए nodal मिनिस्ट्री है। तो वह मंत्रालय उसकी देखरेख कर रहा है या केवल दूर से देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा है? महोदय, यह मुद्दा बहुत बड़ा है और मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन पिछले आठ सालों में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सामाजिक अैर आर्थिक विकास के लिए सरकार ने कितना बजट अब तक रखा और उस बजट में से कितना खर्च हुआ? **...(समय की घंटी)...** हमारी जानकारी में 87 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए उस बजट में हैं और उन 87 रुपयों में से 7 रुपए भी अल्पसंख्यकों के विकास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। **...(समय की घंटी)...** यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इन मुद्दों पर, जो मुद्दे **...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)...** अभी अदीब साहब ने इन तमाम सवालों को कहा, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं **...(समय की घंटी)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अली अनवर अंसारी जी, बोलिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, आप **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You have taken five minutes ...(*Interruptions*)... I have ten names with me. If everybody takes ten minutes, then, how much time will be required? ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, कम से कम पांच-छ: मिनट तो बोलने का मौका दीजिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You look at the Board. You have taken five minutes ...(*Interruptions*)... देखिए, बोर्ड को देखिए। **...(व्यवधान)...** अली अनवर अंसारी जी, आप बोलिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, एक last point बोलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Other things you write to the Minister. I will not allow ...(*Interruptions*)... There should be some rule. I have ten names ...(*Interruptions*)... Naqviji, this is indiscipline ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, यह आपको भी पसंद आएगा। यह हिन्दी में है, आप सुन लीजिए–

"तू दरिया में तूफान क्या देखता है,
खुदा है, निगेहबान क्या देखता है,
तू हाकिम बना है, तो इंसाफ भी कर,
तू हिन्दू-मुसलमान क्या देखता है?"

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब ठीक है, धन्यवाद। अंसारी जी, आप दो मिनट में सिर्फ question पूछिएगा।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही सलमान खुर्शीद साहब की चिट्ठी मिली, जो आंकड़ों का दस्तावेज़ है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की जब बात आती है...

जहां माइनॉरिटी की बात आती है, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात आती है, सच्चर कमेटी ने कहा है कि सरकारी मुलाज़मत में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है, उनका रीप्रेज़ेंटेशन है, वह दो से तीन परसेंट के बीच में है। हम जानना चाहते हैं कि उसको enhance करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है, आपकी क्या उपलब्धि है? महोदय, सच्चर कमेटी ने Equal Opportunity Commission बनाने की मांग की है। उसके बारे में आपने क्या किया है? दूसरा, आप आंकड़े दे रहे हैं कि इतने लोगों को वजीफा दिया, इतने लोग बैंक के लोन के beneficiaries हैं। सर, यह इतनी बड़ी marathon exercise है, चार सौ पेज की रिपोर्ट है, और इस कमेटी का नाम है, Prime Minister's High Power Committee. इस High Power Committee ने अगर कुछ लोगों का वजीफा ही बढ़ाना था, अगर कुछ लोगों को लोन ही देना था - पहले सौ को देते थे, अब दो सौ को दे दिया - तो इसके लिए इस High Power Committee को बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो आप executive order से कर सकते थे। सवाल यह है कि आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए हैं, फराहम कराए हैं? महोदय, जो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी हम कहते हैं कि आप शेर-ओ-शायरी तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चर कमेटी ने उस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात को खारिज किया है। इसके लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इस पक्ष में होनी चाहिए, जो 45 साल तक हुकूमत में रहे हैं। आज हालत क्या है? मैं उन लोगों में नहीं हूं जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और उन लोगों में भी नहीं हूं जो आरक्षण की बात सुनकर भड़क जाते हैं। क्यों नहीं एक जम्प दिया जाए? हम सब मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात नहीं कर रहे।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

श्री अली अनवर अंसारी : सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं। यह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ईसाइयों की भी बात है। उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : चार मिनट हो गए हैं, अब कनक्लूड कीजिए।

श्री अली अनवर अंसारी : सर, आपने इतना बड़ा सवाल छेड़ दिया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं दो मिनट में समाप्त करूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मैं क्या करूं? चार मिनट हो गए हैं।

श्री अली अनवर अंसारी : सर, जितना टाइम आपने इन लोगों को दिया है, कम से कम उतना टाइम तो हमें भी दीजिए। कृपया हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : उनको पांच मिनट दिए हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री अली अनवर अंसारी : हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, इधर से भी कह रहे हैं, उधर से भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शेडयूल्ड कास्ट के मामले में, धारा 341 के मामले में जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, 1950 के presidential order के ज़रिए धारा 341 पर जो religious ban लगा दिया है, हम उस धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं। सच्चर कमेटी ने सिफारिश की है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : प्लीज़, कनक्लूड करिए।

श्री अली अनवर अंसारी : महोदय, कृपया मुझे सुन लिया जाए। बिहार विधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अंसारी जी, यह क्वेश्चन पूछने का अवसर है, स्पीच करने का अवसर नहीं है।

श्री अली अनवर अंसारी : बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भी भेजा है, आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा ने भी भेजा है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : This is indiscipline. आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री अली अनवर अंसारी : श्री राजशेखर रेड्डी साहब ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरने से 15 दिन पहले प्रस्ताव पास करके भेजा। वे तो सलमान साहब की पार्टी के थे। हम कहना चाहते हैं कि इस सवाल पर एक नेश्नल कंसेंसस बना है। सलमान खुर्शीद साहब, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं। आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। **...(व्यवधान)...** सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अंसारी जी, आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री अली अनवर अंसारी : वही पूछ रहा हूं। आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी ने जो कहा है कि दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों के साथ मज़हब के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वह unconstitutional है, आप सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?

आप as a Law Minister क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत सरकार का अटार्नी जनरल उस मामले को क्यों लटकाता जा रहा है? **...(समय की घंटी)...** वह इसे लिंगर ऑन करता जा रहा है, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। **...(समय की घंटी)...** हम किसी दलित का हिस्सा काटने के लिए नहीं कह रहे हैं। **...(समय की घंटी)...** मायावती जी से लेकर, हमारे नेता नीतीश कुमार जी से लेकर, रामविलास पासवान से लेकर, करूणानिधि जी से लेकर सभी पार्टियां **...(समय की घंटी)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It will not go on record.

श्री अली अनवर अंसारी : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It will not go on record. No, no. Please, it is over. It is not going on record. It is not going on record. अंसारी जी, बैठ जाइए।

श्री अली अनवर अंसारी : *

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अंसारी जी, बैठ जाइए। अंसारी जी, बैठिए। अंसारी जी, बैठिए। Take your seat. Take your seat.It is not going on record. What are you doing?

श्री अली अनवर अंसारी : *

चौधरी मुनब्बर सलीम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है। **...(व्यवधान)...**

†[**چودھری منبّر سلیم** : اپ سبھا ادھیکش مہودے، مجھے بھی بولنا ہے ...(مداخلت)...]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No. I told you it is not going on record. This is indiscipline. अंसारी जी, बैठ जाइए। You take your seat. You take your seat. You sit down, Ansariji. What is this? Ansariji, take your seat. You sit down, Ansariji. What is this? Mr. Munabbar, you listen. You are a new Member. You should read the rule book. I have told you the other day also. If you want to speak, you have to give your name before the discussion starts. The other day I told you that. I have already 10 names before me. And, you are raising your hand! What should I do? Should I not call these ten Members? I have already advised you the other day. Try to read rules and understand something. Hon. Members, I am very clear. We should understand what is what. This is Half-an-Hour discussion. If you want a discussion on the Working of the Ministry of Minority Affairs, the Chair does not have any objection. Give a notice. We will do that. I can sit for hours. But, I have to go by rules. This is Half-an-Hour discussion where a Member can ask questions. Ansariji, in fact, you disobeyed me. I am sorry. He is my friend. He should not have been done like this. So, there are

---

* Not recorded.

---

† Transliteration in Urdu Script.

[PROF. P.J. KURIEN]

7 Members. I have no problem to call Mr. Munabbar also as 8th Member. But, I am requesting the hon. Members to ask questions. Anything other than questions, I will expunge from the record. I am telling you. You only ask questions. You can ask it in 2 or 3 sentences. I have no problem. But, the rule says that you can only ask questions. Therefore, I will allow Munabbar also. If Members stick to the rules, I can allow more Members. That is the point. So, in 2 or 3 sentence you put your questions. I mean, in two minutes, you put questions. Don't give lectures. Everybody knows the lecture you are making that a particular community is backward. Everybody knows. I also know. Therefore, you put questions. Now, Shri Husain Dalwai. Don't make pleasantries, put questions.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मेरा कहना यह है कि सच्चर कमेटी आई, 15 प्वाइंट्स प्रोग्राम्स आए, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे कुछ सवाल हैं, जिन्हें मैं मंत्री जी के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इनके ऊपर विचार करेंगे। जैसे आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वह स्कॉलरशिप restricted है। आपको कुछ लोगों को कुछ अमाउंट देना है, आप उनको दीजिए।

आप उसको universal कीजिए। जो-जो गरीब मुसलमान हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसके लिए आप नियम तय कीजिए, ताकि वह सबको मिल सके। सच्चर कमेटी में equal opportunity commission की बात कही गई है, अभी तक वह स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए आप उसको जल्दी से जल्दी स्थापित कीजिए। अगर आप चाहें तो minorities के बजाए, उसको सबके लिए रखना चाहें, तो सबके लिए रखें, लेकिन वह होना बहुत जरूरी है।

मेरी बहुत दिनों से यह मांग है कि जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं, जैसे दलित और आदिवासियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूल होते हैं, वैसे ही रेज़िडेंशियल स्कूल इन मुस्लिम बच्चों के लिए भी तैयार कीजिए क्योंकि इसका उनको बहुत फायदा होगा। आज मुसलमानों में एजुकेशन के प्रति एक वातावरण तैयार हुआ है और उसका फायदा उठाना चाहिए। हर बच्चा स्कूल में जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां भी मुस्लिम बस्ती होती है, वहां पर कुछ न कुछ छोटे-मोटे धन्धे होते हैं, जैसे कहीं पर कपड़े का धन्धा होता है, कहीं गलीचे का धन्धा होता है और कहीं पर चमड़े का होता है। वे लोग कुछ न कुछ धन्धा करते रहते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है इसलिए वे झोपड़-पट्टी में ही अपना काम-धन्धा करते रहते हैं। क्या सरकार उनके लिए इंडस्ट्रियल हाउस बनाने की बात सोच सकती है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार उनको छोटे-छोटे काम करने की सलाह दे, ताकि उनमें उनका मजदूर भी ठीक तरह से काम कर सके। इस तरह से काम करके वे लोग बड़े पैमाने पर फॉरेन एक्सचेंज भी कमाएंगे, क्योंकि उनके सारे काम इस तरह के होते हैं।

दूसरी बात यह है कि Bhiwandi, Malegaon, Dhule, Jalgaon, में टेक्सटाइल **...(समय की घंटी)...** सर, में सवाल पूछ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हां, पूछिए-पूछिए।

श्री हुसैन दलवई : टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आए, तो वह इचलकरंजी में लगाएं, जहां बड़े पैमान पर मुस्लिम हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जहां इसकी आवश्यकता है, वहीं बनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास वहां इंडस्ट्री बनाने का इंतजाम है या नहीं, यदि नहीं है तो क्या वहां बनाने की इच्छा है?

मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज़ के 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें बड़े-बड़े माइनॉरिटीज़ ब्लॉक्स हैं। मैंने सुना है कि आपने ब्लॉक्स की बात की है, अगर की है तो अच्छी बात है और हमें इस बारे में जानकारी दी जाए। मुस्लिम स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स के लिए जमीन नहीं दी जाती है, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए जगह दी जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि इनके लिए जमीन देने के बारे में भी सोचिए। अगर वक्फ की जमीन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस्तेमाल कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ओ.के. हो गया, हो गया।

श्री हुसैन दलवई : जैसे SC, ST और OBC के लोगों को फायदा मिलता है, **...(समय की घंटी)...** वही फायदा मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों को भी मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपके तीन मिनट हो गए हैं।

श्री हुसैन दलवई : आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे फाज़िल दोस्त श्री मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने भी कहा है। उनकी पार्टी हमेशा इसके विरोध में रहती थी, आज वह भी इसके साथ में है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपके तीन मिनट हो गए हैं।

श्री हुसैन दलवई : आप इस पर पूरे जोर से काम कीजिए।

श्री वी. हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई शेर व शायरी नहीं सुनाऊंगा, मैं डॉयरेक्ट अपने विषय पर आ रहा हूं। सर, मेरे बोलने के लिए केवल दो ही इश्यु हैं। आप जितने भी scholarships और entrepreneurship के बारे में बोल रहे हैं, अब तक कितने स्कूल खोले हैं और कितने scholarship दिए हैं, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है? वहां वक्फ प्रॉपटीज़ भी हैं। आप SEZ के वास्ते हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं, मगर जो गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल रही है और आप वहां स्कूल नहीं खोल रहे हैं। अगर entrepreneurship में स्पेशली मोटर मैकेनिक, साइकिल मैकेनिक आदि छोटे कामों के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे। आजकल मुसलमानों में भी पढ़ने का बड़ा interest पैदा हो रहा है। बच्चे यहां scholarship में पढ़कर फॉरेन जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि एक लड़के के वास्ते मैंने कम से कम 15 बैंकों के चक्कर लगाए हैं, उन्होंने यह कहा कि scholarship देने के लिए यह लैटर लाओ, वह लैटर लाओ, अगर उसके पास जमीन है तो फिर मिल सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के कानून की बातें करते रहते हैं फिर मुस्लिम बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि करीम नगर के कलैक्टर ने अब तक तीन मर्तबा मीटिंग करने की बात की है, लेकिन तीनों ही बार postpone कर दी। क्या ऐसी हालत में सच्चर कमेटी इम्पिलीमेंट हो सकती है? मुस्लिम लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है।

वे बार-बार मीटिंग रखते हैं और बार-बार पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे एक wrong message जा रहा है। एक तरफ तो सरकार की गरीबों के साथ, माइनॉरिटी के साथ आगे बढ़ने की नीयत ठीक है, लेकिन उस नीयत का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। The Collectors are not taking any interest. ऐसे कलेक्टर लोगों पर कोई ऐक्शन लेना चाहिए। देश भर में जितने कलेक्टर हैं, उनसे सच्चर कमेटी ने कहा है कि मीटिंग बुलाइए। अभी तक तीन मर्तबा मीटिंग बुलाई है और तीन मर्तबा पोस्टपोन की है, इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर इसका ध्यान रखें। जिस प्रकार से स्पेशन इक्नॉमिक जोन है, वैसे ही गरीबों के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था हो। **...(व्यवधान)...** दूसरी बात और आखिरी बात वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है। सर वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और सरकार देखती रह जाती

5.00 P.M.

[श्री वी हनुमंत राव]

है। आप इस पर ध्यान दें कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना नहीं है। आज बड़े-बड़े सरमाएदार जमीनें लेकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ऐसा होने पर क्या गरीब आदमी को, मुसलमान को गुस्सा नहीं आएगा? आप मुसलमान की बात केवल स्पीच में मत कीजिए, यदि आप ईमानदारी से इसको, वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने से रोकेंगे तो मुसलमानों का भला होगा, उनकी पढ़ाई और नौकरियों में भी तब्दीली आएगी। इतनी बात कहकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha) : Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I have two-three questions on which I would like to seek clarifications from the Minister. You have selected 90 districts to develop the socio-economic conditions of the minorities. In Odisha, we have 30 districts. But, only one district, the smallest district by name Gajapati, is selected for this programme where a number of Christians are living; they are mostly *adivasis.* But, in the rest of the 29 districts, there are so many pockets or blocks where Muslims are in more numbers. But, they are not getting the facility because those districts do not have more than 25 per cent of the population. My request is, instead of taking the district as the base, you may please select the blocks where more than 15 per cent of the population belongs to minorities. That way, they would get the benefits and develop.

Secondly, as the topic of discussion itself explains, promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities is the main thing. In order to develop the entrepreneurship skills, we need to educate the children of minority communities. So, education is the top, priority. Then, we need to build skills in them. For building the skills, they require ITIS and polytechnics. In Odisha, I have seen that some educated people among minorities want to set up their own ITIS. But, they are not getting enough opportunities; they are not getting loans to establish institutions. If you treat them as minority students, to build up skills in different and specific trades, then they can be useful in the particular regions, in the districts of their States. We need to look into it.

Sir, in regard to self-employment, most of the minority people are poor. They do not have the required capital to invest. So, loans should be given to them on easy terms so that they build their own schools, ITES or training centres. About self-employment, I request the hon. Minister to take specific data from different States as to the percentage of Muslims, Christians and other minorities getting their share of opportunities in employment. If you do not have a comprehensive approach, then the inclusive growth about which you are talking, cannot be achieved; this inclusive growth would be minus minorities, minus SCs, minus STs and minus OBCs. Whose development do you seek then? That is why I have requested you. Please pay attention to the points I have mentioned. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Rajeeve, put questions only. You have got two minutes.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala) : Sir, what is the final position of the Government to include a sub-plan for minorities on the line of Tribal Plan? Sir, I want to know whether the Government has formulated any specific programme for self-employed or home-based workers to provide skill, credit, technology and market support in backward districts; if so, what is the allocation for that project. Third, how many ITIs and polytechnics and other institutions have been started as per the recommendations of the Sachar Committee? I want to know whether any alternative mechanism has been formulated to identify and charged with the task of providing institutional support, like market linkage, skill upgradation, funding of trades being run by Muslim artisans. Sir, my next question is whether the Small Industrial Development Bank of India, SIDBI, should set aside any dedicated fund for training of minorities, under its Entrepreneur Development Programme; if so, what is the extent of the fund. I want to know whether the Government has given any incentive to start new branches in Muslim-concentrated districts; if so, what is the quantum of the incentive. Next question is whether the Government has formulated any specific scheme to ensure smooth flow of micro credit or priority sector advances; if so, what are the steps taken by them and what is the allocation for this programme.

Sir, I want to know whether the Government has any plan to formulate any policy for enhancing the participation of the minorities in the micro credit schemes of NABARD; if so, what are the schemes; what is the allocation for that; and what is the achievement of it. So, these are my questions to the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : I think, this is how it should be. If every hon. Member follows Rajeeve, I think, that is correct. That is a correct example; put questions. Now, Shri Tariq Anwar.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : थैंक्यू सर। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह बात सही कही गई, यहाँ माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के बारे में इस बात की चर्चा की है कि उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति है, उसे देखते हुए सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कार्य किया है। यह कहना उचित नहीं होगा कि कोई काम नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इसमें मैंने देखा और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 11th Five Year Plan में 7 हजार करोड़ रुपए माइनॉरिटी कम्युनिटी के विकास के लिए, उनके educational empowerment, area development, economic empowerment, strengthening of minority institutions के लिए दिए गए। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि इसमें खास तौर पर यह बात जाहिर नहीं हुई है, हालांकि स्कॉलरशिप में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय में अलग-अलग कम्युनिटीज़, जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी आते हैं, उनको कितनी-कितनी स्कॉलरशिप दी गई। उसी तरह से हम हर क्षेत्र में चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जो समस्या है, वह दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से

[श्री तारिक अनवर]

अलग है। इस बात की चर्चा और लोगों ने भी कि हम उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि खास तौर पर और जैसा कि सच्चर कमेटी ने भी यह बात कही थी कि मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अलग से, विशेष रूप से कार्यक्रम चलाने की जरूरत है और ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे खास तौर पर इंदिरा आवास योजना के बारे में है, बैंक क्रेडिट के बारे में है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के बारे में है या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ऐसी जितनी भी योजनाएँ सरकार की हैं, उनमें मुस्लिम समुदाय के लिए क्या प्रावधान किया गया है? किस तरह से उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुँच सके? हमारे बहुत सारे कार्यक्रम इसलिए भी इम्प्लिमेंट नहीं हो पाते हैं कि लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है। उस समुदाय के लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है।

इस तरह, एक तो उनकी इम्प्लिमेंटेशन की बात है और साथ-ही-साथ उनकी मॉनिटरिंग की भी बात है। सरकारी की जितनी भी योजनाएँ होती हैं, उनके बारे में यह सवाल अक्सर उठता है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत-सारे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना जानना चाहूँगा कि **...(समय की घंटी)...** 11th five-year plan में तो आपने 7000 करोड़ का प्रावधान रखा था..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

श्री तारिक अनवर : अब यह 12th five-year plan चल रहा है, तो उसमें आप उसको कितना बढ़ाने जा रहे हैं और उसको अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग community के हिसाब से उस पर कितना खर्च करेंगे? इसकी जानकारी हम चाहते हैं। उसी तरह से स्कॉलरशिप में भी है। हम यह जानना चाहेंगे कि शिक्षण संस्थान बनाने में और जितनी भी ऐसी सुविधाएँ हैं, जिनके बारे में माइनॉरिटी मंत्रालय ने संकल्प लिया है, उनको पूरा करने की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : सर, हमारा हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है, जिसमें मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है। हम विश्व के दूसरे ऐसे देश हैं, जहाँ इनकी आबादी दूसरे स्थान पर है, 20 करोड़ है। हमसे ज्यादा आबादी, लगभग 22 करोड़ इंडोनेशिया की है और हमसे कम पाकिस्तान की है, मात्र 16 करोड़। इतनी बड़ी आबादी को अगर हम फटेहाली में रखने का काम करेंगे, इसको देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं करेंगे, इसको नौकरी में जगह नहीं देंगे, इसकी शैक्षणिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे और इसके रहने-खाने की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तो सर, इतनी बड़ी आबादी को नेग्लेक्ट करके कोई देश खुशहाल कैसे रह सकता है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। यह हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। इतनी बड़ी आबादी को हम भूखे-नंगे और फटेहाली में देख रहे हैं और सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है।

जब सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दी तब बातें समझ में आईं। आपने यह कमिटमेंट किया कि मैं सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूँगा। आप इसे लागू करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं, यह आप बताइए? आपने उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम्स दी हैं। पूरे देश में 90 ऐसे जिले हैं, जहाँ माइनॉरिटीज़ की आबादी ज्यादा है, उनका आपने चयन किया। सर, मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। बिहार में इनकी बहुत अच्छी-खासी आबादी है। वहाँ 7 जिलों के लिए आपने पैसा आवंटित किया है। यह Multi Sectoral Development Programme जो चल रहा है, इसके तहत आपने पैसा दिया है। सर, अब जो स्थिति है, उसका एक छोटा-सा आंकड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप जो पैसा दे रहे हैं, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो यही हश्र होगा। सिर्फ पैसा देकर आप क्या कीजिएगा? आपने इसमें कौन-सा मॉनिटरिंग सिस्टम

लगाया है? अगर यह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया, तो जो राज्य सरकार माइनॉरिटीज़ के हित में काम करने वाली नहीं है या जिसको माइनॉरिटी के प्रति विद्वेष है, गुस्सा है, तो वह उनका डेवलपमेंट कहाँ से करेगी, यह आप मुझे बताइए?

आपने जो राशि आवंटित की है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपने आधी-अधूरी राशि आवंटित की है। उसमें से बंगाल में मात्र 51 परसेंट, उत्तर प्रदेश में 33 परसेंट, बिहार में 31 परसेंट ओर असम में 20 परसेंट राशि खर्च हुई। अब समझिए कि अगर आपने इतनी ही राशि उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए दी, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इससे वहाँ के लोगों का उत्थान होगा और आपका जो प्रोग्राम है, वह सफलीभूत हो पाएगा? आपने इसके प्रति कौन-से एक्शन लेने का काम किया है? क्या आप कर रहे हैं और क्या आप राज्यों पर छोड़ देंगे? क्या आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे?

सर, अब शिक्षा की स्थिति की बात है। बिहार की शैक्षणिक स्थिति **...(व्यवधान)...** सर, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सब को तो आप टाइम देते हैं। मेरा भी तो कुभी कुछ ख्याल कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.के. कुरियन) : आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मुझे भी थोड़ा टाइम और दे दीजिए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मुझे थोड़ा-सा और टाइम दे दीजिए। **...(व्यवधान)...**

आप उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। कल मैंने स्पेशल मेंशन के माध्यम से इसे उठाया था। पूरे देश के पैमाने पर जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, क्या आपने कभी यह देखा है कि वहाँ उर्दू की पढ़ाई भी होती है? जो लोग केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं या सेना में कार्यरत हैं और केन्द्रीय सेवाओं में समय-समय पर स्थानांतरण होता रहता है, तो उनके बच्चों के पास केवल केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है।

1087 केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें से एक में भी उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। आपने कभी इस पर गौर फरमाया है? आप इस इस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं। **...(समय की घंटी)...** । आज स्थिति यह है कि सेन्ट्रल फोर्स की नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र एक प्रतिशत है। अगर आप इतनी बड़ी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनकी स्थिति को संभालने का काम नहीं कर रहे हैं **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपके तीन मिनट हो गए, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KUREIN) : No, no. It won't go on record.

श्री राम कृपाल यादव : सर, कृपया मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Put the question.

श्री राम कृपाल यादव : अगर यही स्थिति रही, तो देश का कभी भला होने वाला नहीं है। मुसलमान लोग इस देश के लिए अपना खून-पसीना बहाते हैं। अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की रक्षा और मान-सम्मान बनाए रखने का काम करते हैं।

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में उनकी शैक्षणिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेंगे? उनको नौकरियों में हक मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? उनके उत्थान के लिए आपने जो राशि आवंटित की है, उस राशि का खर्च कब तक होगा? आप उनको आगे बढ़ाने के लिए और कौन-से उपाय करने जा रहे हैं? **...(समय की घंटी)...** सच्चर कमिश्नर की रिपोर्ट में कई तरह की अनुशंसाएं की गई हैं, उन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए आप कब तक कार्यवाही करेंगे? जिन राज्यों में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उन राज्यों में पैसा कैसे खर्च होगा और यह कब तक खर्च होगा? बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, Shri Avtar Singh. आप सिर्फ अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : सर, तारांकित प्रश्न संख्या 423 के बारे में आज जो चर्चा हो रही है, वह अल्पसंख्यकों के बीच उद्यमता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में है। अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमान के साथ-साथ देश का सिख, क्रिश्चन और बुद्धिस्ट भी आते हैं। सर, आज़ादी के बाद देश में एक सोची-समझी साजिश के तहत पब्लिक सेक्टर में अल्पसंख्यकों के participation को कम किया गया है। 1947 तक पब्लिक सेक्टर में 33 परसेंट मुस्लिम थे। उसके बाद जब से आपके हाथों में उनकी देखभाल का कार्य आया, तो आज वे आपकी कृपा से 3 परसेंट हो गए हैं। इसका क्या कारण है और आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आपके पास शब्द बड़े अच्छे हैं और कर्म बहुत बुरे हैं। जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक अच्छे शब्द कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।

मान्यवर, 90 जिलों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र declare किया गया है। पब्लिक सैक्टर के रोजगार में जो अल्पसंख्यकों का representation कम हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको शिक्षा में बड़े पैमाने पर पीछे धकेला गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा Fifteen-point Multi-Sectoral Programme शुरू किया गया है, तब से उसके तहत इन 90 जिले में कितने ITI खोले गए हैं और कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं, कितने educational institutions or educational centres create किए गए हैं? आपने किस हद तक मदरसों की शिक्षा को recognize किया है?

इसके अलावा जो 3,700 करोड़ का बजट है, मैं समझता हूँ कि 90 जिलों के लिए यह औसत 41 करोड़ होता है, जो कि जिले की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। इसके बारे में आप प्रयास कीजिए, योजना आयोग के साथ बैठक कीजिए। अगर हम यह consider करते हैं कि 20 परसेंट मुस्लिम हैं और उनके अलावासिख हैं, क्रिश्चयन हैं, बुद्धिस्ट हैं, अगर हम ईमानदारी से अल्पसंख्यकों के social and economic स्टेटस को बराबर करना चाहते हैं, उनको equal opportunity देना चाहते हैं, तो यह बजट भी हमें उनकी जनसंख्या के हिसाब review करना चाहिए। **...(समय की घंटी)...**

सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, शेर नहीं सुना रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, मैं बजट को बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। उसके अलावा मंत्री जी, आपकी जो माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री है, इसके बारे में आप कृपया हमें यह जानकारी जरूर दीजिए कि वहाँ उर्दू की कितनी पोस्ट्स हैं और उनमें से कितनी पोस्ट्स खाली हैं? वे पोस्ट्स कब से खाली

पड़ी हैं और क्यों खाली पड़ी हैं? अगर माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री को उर्दू का टाइपिस्ट नहीं मिल रहा, उर्दू वाला डिप्टी डायरेक्टर नहीं मिल रहा और वह कई सालों से नहीं मिल रहा, तो फिर क्या आप माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने का जिम्मा निभा सकेंगे? **...(समय की घंटी)...**

इसके अलावा, रिज़र्वेशन की भी बात है। महोदय, मंत्री जी ने दो-चार महीने पहले बड़े जोर से यह स्टैंड लिया कि हम माइनॉरिटीज़ को साढ़े चार परसेंट रिज़र्वेशन देकर, उनका सदियों से जो शोषण हो रहा है, उससे उनको उबार देंगे, लेकिन इलेक्शन निकल गया और जो यह कह रहे थे, वह मामला भी बन्द हो गया। अब हम यह कहना चाहते हैं कि आप उनको साढ़े चार परसेंट देकर इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बेइंसाफी कर रहे हैं और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुस्लिम की पॉपुलेशन 20 परसेंट है, उसके अलावा सिक्ख, बुद्धिस्ट्स और क्रिश्चियंस हैं। **...(समय की घंटी)...** सर, घंटी मत बजाइए। एक-आधा मिनट दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : नहीं, अब हो गया।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : समय हो गया, यह हमें भी मालूम है, लेकिन इसको भी बहुत समय हो गया, 65 साल हो गये। **...(समय की घंटी)...** हम यह कहते हैं कि आप रिज़र्वेशन की 50 परसेंट restriction को तोड़िए। आप शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड में घुसने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप उसके अलावा प्रबंध कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। **...(समय की घंटी)...** आप हिम्मत कीजिए और हिम्मत से आगे बढ़िए, लेकिन साढ़े चार परसेंट से कुछ नहीं होने वाला है। तीन परसेंट तो पहले ही है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बस, हो गया। अब आप बैठिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : बस, अब एक आखिरी सवाल, प्लीज़।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : करीमपुरी जी, देखिए आपने कितने मिनट्स लिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, अब बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। 1964 में जो सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल बनी थी, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वक्फ़ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी या लैंड है, उसके ऊपर लैंड माफिया ने कितना एनक्रोच कर लिया है और उसको छुड़वाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अब हम आपसे यह अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि आज़ादी के बाद जिस माइनॉरिटी की मस्जिद को, गुरुद्वारे को और चर्च को तोड़ा गया है, उस माइनॉरिटी की जान-माल और ईमान की सुरक्षा के लिए आप ईमानदारी से आगे बढ़ें, तभी वे सोशल और इकनॉमिक तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।

चौधरी मुनब्बर सलीम : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनसे एक सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन कर खड़ी है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा से बिल पारित है, मुसलमानों को रिज़र्वेशन है, उस यूनिवर्सिटी में तीन सौ करोड़ रुपये की इमारतें, जमीन आदि सब हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी वहाँ की एक पब्लिक मीटिंग में यह ऐलान करके आई थीं कि इस यूनिवर्सिटी को हम चलाएँगे, तो उसको आप कब तक शुरू करेंगे?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछली बार हाउस के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने सच्चर कमेटी की 40 फीसदी सिफारिशें पूरी कर दी हैं। यहाँ तो उन 40 फीसदी सिफारिशों का पूरा ब्यौरा सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने इसके बारे में लिख कर दरख्वास्त की थी और आज हाउस में आपके ज़रिये भी यह दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वे बताएँ कि वे कौन-सी 40 फीसदी सिफारिशें हैं, जिनको पूरा किया गया है? इस हाउस का सदस्य होने के नाते मुझे इसकी जानकारी लिखित में भिजवा दें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।

†[**چودھری منبّر سلیم (اتر پردیش)** : مانّنے اپ سبھا ادھیکش جی، مانّنے منتری جی بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کے رام پور میں 'جوہر یونیورسٹی' کے نام سے ایک یونیورسٹی بن کر کھڑی ہے، اتر پردیش کی ودھان سبھا سے بل پارت ہے، مسلمانوں کو رزرویشن ہے، اس یونیورسٹی میں تین سو کروڑ روپے کی عمارتیں، زمین وغیرہ سب ہیں اور کانگریس کی راشٹریہ ادھیکش سونیا جی وہاں کی ایک پبلک میٹنگ میں یہ اعلان کرکے آئی تھیں کہ اس یونیورسٹی کو ہم چلائیں گے، تو اس کو کب تک شروع کریں گے؟

دوسرا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار ہاؤس کے اندر مانّنے منتری جی نے کہا تھا کہ ہم نے سچّر کمیٹی کی 40 فیصدی سفارشیں پوری کر دی ہیں۔ یہاں تو ان 40 فیصدو سفارشوں کو پورا بیورا سنایا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے اس کے بارے میں لکھہ کر درخواست کی تھی اور آج ہاؤس میں آپ کے ذریعے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بتائیں کہ وہ کون سے 40 فیصدی سفارشیں ہیں، جن کو پورا کیا گیا ہے؟ اس ہاؤس کا سدسئے ہونے کے ناطے مجھے اس کی جانکاری لکھت میں بھجوادیں۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔

(ختم شد)]

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka) : Since the Chair has authorized me to put two questions, I will put two questions only. One, has an objective evaluation been done, at any time, of the impact which *Madrasa*-type of education has on the competitive spirit of the children and how it takes away the scientific outlook of the children which, at that age, other children get? Has any evaluation been done? Secondly, have you ever considered amendment and changes in marriage laws and curbing the practice of consanguineous marriages, which bring down the physical standards of the children?

When I was in bureaucracy, as the Home Commissioner, I tried to take as many Muslims in police force as possible. But they were not coming up to the physical standards required for that. One of the reasons for that is this. Unfortunately, we do not

† Transliteration in Urdu Script.

address these basic issues because there is a vested interest in keeping the Muslim minority as a coveted vote bank. I am sorry to say this. Has the Minister addressed these two issues?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : Sir, I am extremely grateful to the hon. Members and I do understand that some Members have other commitments as well.

श्री मोहम्मद अदीब : सर, हिन्दी में बोलें।

श्री सलमान खुर्शीद : हिन्दी पर भी आऊंगा, उर्दू पर भी आऊंगा, सभी जुबानों में बोलेंगे। कुछ लोग अंग्रेजी में बोले, इसलिए पहले अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं।

मान्यवर, मैं सबसे पहले तो सारे सदस्यगणों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और सुझाव भी दिए। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हरेक अपने-अपने तजुर्बे और अनुभव को सामने रखकर, हरेक ने प्रयास किया है कि देश के एक संजीदा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकें। यह थोड़ा-सा हमारा दुर्भाग्य रहा, कुछ हमारे सदस्यगण का यह दुर्भाग्य रहा कि जो नियमावली है और जिस नियम के तहत आज यह चर्चा हो रही है, वह बड़ी सीमित हो गई है। मैं मोहम्मद अदीब साहब का खास तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा को बढ़ाने का एक प्रयास किया है। मुझे थोड़ा सा खेद हुआ, दु:ख हुआ कि जो हमारे पास दस्तावेज और सूचियां थी, जो हमारे पास तथ्य थे, जो हमारे पास फैक्ट्स थे, हमने यह चाहा कि इस महत्वपूर्ण चर्चा से पहले कुछ सदस्यगण प्राप्त कर लें, ताकि उनके प्रकाश और रोशनी में और उनकी जानकारी में हम इस चर्चा को और गम्भीरता से आगे बढ़ा सकें। मैं समझता हूं कि सदस्यगण चाहेंगे कि यह सारी सूचना, ये सारे तथ्य हम उनको प्रस्तुत करें और यह हमने पहले ही फैसला किया है कि आप सभी माननीय साथियों को ये सारी सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे, जो आज नहीं तो आगे की भी चर्चा में आपके लिए यह काम आएगा। आपका और हमारा इस देश का बहुत-सा सरमाया, सूचना का सरमाया हमारी वेबसाइट पर है। लेकिन शायद हम लोगों को इतना अलग से अलग नहीं मिल पाता कि वेबसाइट पर बैठकर विस्तार से ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट्स निकाल सकें। इसलिए हम उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रस्तुत करेंगे और समय-समय पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह हम और भी आपको प्रस्तुत करेंगे।

मान्यवर, यहां आज बहुत सारे सवाल आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तथा सदस्यगणों की भी आज्ञा हो तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको मिलना चाहिए और जिनको आज अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो बहुत जल्द उनकी समीक्षा करके जवाब आपको प्रस्तुत कर देंगे।

इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, मुझे भी एक शेर याद आ गया।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Minister, what you can do is that you can reply whatever is possible today. Rest of the points you can reply in writing.

SHRI SALMAN KHURSHEED : Yes, Sir, I will do that. I will reply to the rest of the points later. मैं एक शेर प्रस्तुत कर देता हूं, जो आपके अंदाज से मेरे दिल में उभर कर आया।

[SHRI SALMAN KHURSHEED]

"क्यों न इस सादगी पर मर जाएं ए खुदा,
कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।"

बात यह भी कुछ थी। मैं कहना तो यह चाहता था कि :

"या रब न वो समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।"

अब उस जुबां से मैं कम से कम आपसे यह कह सकूं कि हमें आज खुशी है और सारे सदस्यगण यहां बड़े प्रसन्न हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशल बात तो कही,.....। आपने ने जो भी कहा हो, लेकिन अंत में आपने गंगा, यमुना को बांटने की बात फिर कर दी। हम चाहेंगे कि आप उनका संगम बनाकर रखें।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उपसभाध्यक्ष महोदय, हम कभी भी बांटने के पक्ष में नहीं हैं, हम तो देश को जोड़ने के पक्ष में हैं। मैं इसी पर एक बात और कहना चाहता हूं कि,

"अपनी बातों में वो लफ्जों का हुनर रखते हैं,
खुश्कियों में भी डुबोने का हुनर रखते हैं।
झूठ शाहों के सही, फिर भी पकड़ जाते हैं,
सच किसी का भी हो, बहरहाल असर रखते हैं।"

श्री सलमान खुर्शीद : मैं इस चर्चा को मुशायरे में तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब मेरे पास है,

"आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक,
कौन जीता है, तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक।"

मान्यवर, चूंकि यह एक गंभीर विषय है, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं आगे बढ़ूं? हमारे माननीय सदस्य अली अनवर अंसारी साहब ने Equal Opportunity Commission की बात रखी कि हमने इस कमीशन को आज तक लागू क्यों नहीं किया? वह चले गए। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि 76 सिफारिशें हमको सच्चर कमेटी से मिली थीं। उन 76 सिफारिशों में से हमने 72 सिफारिशें मानीं। प्रश्न यह किया गया कि कौन-सी आपने नहीं मानीं? हमने सेंसर वाली एक बात को defer किया था, नहीं माना था, लेकिन आप लोगों के साथ चर्चा के बाद अब caste का census हो रहा है जिस पर लोगों का अलग-अलग point of view था, जिसके आंकड़े हमें एक वर्ष के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद उन आंकड़ों की रोशनी में शायद हमारे निर्णय और अच्छे हो सकेंगे, लेकिन Equal Opportunity Commission पर सरकार अभी यह फैसला नहीं कर पायी है और सब की सहमति नहीं बन पायी है कि अगर Equal Opportunity Commission के विचार को यदि सच्चर कमेटी ने ही पैदा किया था, तो वह विचार, वह idea मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? यह माइनॉरिटीज के लिए क्यों नही है? यह सब के लिए क्यों है? Equality Opportunity Commission को सच्चर कमेटी ने सब के लिए कहा था कि जो भी पिछड़े वर्ग या समाज के लोग हैं, चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, उनको समाज में बराबर का अवसर मिल सके और पहले जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान की रही है, उस व्यवस्था से आगे बढ़कर हम affirmative action के तहत सब को equal opportunity देने का एक नया प्रावधान लाएं। इस पर आम सहमति बनेगी तो सरकार इसे सदन के सामने अवश्य लाएगी, लेकिन इस बारे में अभी सरकार भी चर्चा कर रही है और वह समय-समय पर आप लोगों से भी चर्चा करती है। यह सही है कि आरक्षण के संदर्भ में यह कहा गया कि आर्टिकल 341 के मामले में अभी

तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है। हमने यह निर्णय किया था कि हम यह बात सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य प्रस्तुत कर के सुप्रीम कोर्ट से यह सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में हमारे समाज में और आपस में बहुत बंटवारा है। हमको सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मार्गदर्शन दे दे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक पीठ में दर्ज़ है और उम्मीद है कि जैसी ही वह पीठ फिर बैठेगी, उनको समय मिलेगा, तो वह अवश्य इसे सुनने के बाद अपना निर्णय देगी।

मान्यवर, आरक्षण में चार, साढ़े चार प्रतिशत के बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं, इसे मैं स्पष्ट कर दूं। हम नहीं कहते कि साढ़े 4 प्रतिशत आरक्षण में हम यह मान लें कि हमने आसमान से सितारे तोड़कर किसी की गोद में डाल दिए हैं। हमने सिर्फ वही किया, जोकि सच्चर कमेटी का इशारा था और श्री रंगनाथ मिश्रा ने हमसे कहा था। मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है या माना जाना चाहिए। उनको पिछड़ों की सूची में रखना चाहिए, वे हैं और मंडल कमीशन के समय से हैं। उनको अलग से most backward मानकर, अलग से हिस्सा मिलना चाहिए।

इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स को 4.5 प्रतिशत तक अलग आरक्षण की व्यवस्था बनाने की बात की, जो इन्दिरा साहनी केस की बुनियाद पर है। हमने वह न इलेक्शन के लिए किया था, न वह लॉलीपॉप था, इन्दिरा साहनी केस के जो परामर्श हमें प्राप्त हुए थे, जो सच्चर कमेटी का इशारा था, रंगनाथ मिश्रा का परामर्श था, उसको लेकर हम आगे बढ़े थे। यह 4.5 प्रतिशत क्यों? इसलिए कि रंगनाथ मिश्रा ने यह कहा कि 8.44 परसेंट माइनॉरिटीज की बैकवर्ड पापुलेशन है, सही या गलत वह तो जब सेन्सस हमको मिलेगा, हमें स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन रंगनाथ मिश्रा ने कहा था कि 8.44 परसेंट माइनोरिटीज की बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उसका आधा अगर लें तो वह 4.22 होता है, राउण्ड-अप करके उसको हमने 4.5 रखा है। इसमें अगर कोई कमी या कोई त्रुटि रह गई होगी तो जब यह बैकवर्ड की सेन्सस हमारे सामने आएगी, उसमें बात स्पष्ट हो जाएगी। यह अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, यह बैकवर्ड्स में से ही एक हिस्सा कुछ बैकवर्ड्स को दिया गया है, जिसके लिए रंगनाथ मिश्रा ने कहा था और इन्दिरा साहनी का जो केस था उसमें ऐसा आया था। जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स हैं, उनमें कौन-कौन हैं? यह भी स्पष्ट कर दूं, हमारी माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की बैकवर्ड्स की सूची मानते हैं, उसमें सिर्फ पांच समुदाय आते हैं।

महोदय, मैं जानता हूँ कि यहां अदीब साहब ने कहा कि जैनियों को ही सारे पैसे दे दिए गए। दिल्ली में जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक माने जाते हैं, मगर हमारे जो केन्द्र की लिस्ट है उसमें जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक नहीं माने जाते और वे इसलिए नहीं माने जाते, क्योंकि बाल पाटिल के केस में 11 जजेज का जो एक फैसला था, उसमें यह कह दिया गया था कि अब आप अल्पसंख्यक जिसको भी घोषित करेंगे वह स्टेट की बुनियाद पर करेंगे, चाहे वह लैंग्वेज के रूप में अल्पसंख्यक हो, चाहे वह रिलीजियन के बेस पर अल्पसंख्यक हो, आप नेशनल कोई माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और 11 जजेज का फैसला है। इस 11 जजेज़ के फैसले को 3 जज,, 4 जज, 5 जज बदल नहीं सकते। जब यह मामला 11 जजेज़ के सामने या 11 से ज्यादा जजेज़ के सामने जाएगा, तब इसे तय कर सकते हैं। मेरे मित्र और साथी वहां बैठे हैं, प्रदीप जैन साहब, यह तकरीबन हर हफ्ते मुझसे कहते हैं कि अगर आपकी सूची में और अल्पसंख्यक हैं, तो हम क्यों नहीं, जैन समाज के लोग क्यों नहीं? अलग-अलग प्रांतों ने, कम से कम आठ ऐसे प्रांत हैं, जिन्होंने जैन समाज के लोगों को इस सूची में रखा है। इनको प्रांत में रखा गया है, केन्द्र में रखने की अभी हमें आज्ञा प्राप्त नहीं है। केन्द्र में तब आएंगे, जब हमें आज्ञा प्राप्त होगी, तब भी यह देखना होगा कि इनका पिछड़ापन है तो कितना है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमको क्या करना है?

[श्री सलमान खुर्शीद]

जो स्कॉलरशिप्स आज हम बांट रहे हैं, उस पर अदीब साहब ने पूछा कि आपने 1 करोड़ 40 लाख की जो बात की है, क्या आप वह कुछ ही बच्चों को बार-बार देकर उसको 1 करोड़ 40 लाख बता देते हैं? मैं आपके सामने सारे तथ्य करुंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि इन स्कॉलरशिप्स के मामले में अलग-अलग हम जितना पूरा पैसा स्कॉलरशिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और उपयोग में लाते हैं उसमें हर वर्ष हर प्रांत के लिए आबादी के हिसाब से और हर प्रांत में अल्पसंख्यक आबादी और विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं और उसमें फ्रेश और रिन्यूअल्स का अलग-अलग एलोकेशन करते हैं। नई स्कॉलरशिप्स कितनी होंगी, उसका हम अलग से एलोकेशन करते हैं, जैसे कि इस वर्ष में हमने 55,000 का टारगेट बनाया था, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें से 19,505 फ्रेश स्कॉलरशिप्स थी, और 22,929 रिन्यूअल्स थीं, तो रिन्यूअल्स भी होती हैं। यह स्कॉलरशिप्स तीन साल चली हैं और यह स्कॉलरशिप्स डेढ़ करोड़ पर पहुंची हैं। यहां यह बात भी कही गई कि आप इन स्कॉलरशिप्स को डिमांड बेस्ड कर दीजिए, युनिवर्सलाइज कर दीजिए, इस पर कोई सीमा मत रखिए। हमने ट्वेल्फ्थ प्लान में प्लानिंग कमीशन के यह सामने प्रस्ताव रखा है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स से बढ़कर कोई और अच्छी चीज नहीं हो सकती।

जहां तक स्कॉलरशिप्स की बात है, मैं इतना बता दूं कि पिछले साल हमने मुस्लिम समुदाय के लिए जो fresh scholarships रखीं, वे 100 फीसदी उनको मिली, इसी तरह ईसाई समुदाय के लिए जो fresh scholarships रखीं, वे 100 फीसदी उनको मिलीं, सिख समुदाय के लिए जो रखीं, उसमें से उन्होंने सिर्फ 41.07 परसेंट लीं और पारसी समाज के लोगों ने पूरी 100 प्रतिशत लीं।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें सबको बराबर देना होता है, चाहे वे अपनी स्कॉलरशिप्स लें या न लें। प्रयास यह होता है कि वे स्कॉलरशिप्स उनको हिसाब से मिलें, ताकि कोई यह न कह सके कि एक समुदाय को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन दूसरे समुदाय को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब Means-cum-Merit Scholarship को हमने online कर दिया है। आने वाले वर्षों में सारी स्कॉलरशिप्स online हो जाएंगी। बच्चे online जाकर स्कॉलरशिप्स के लिए apply कर सकते हैं और चैक सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुंच जाएगा। UID नम्बर के बाद इसमें और भी सुविधा जो जाएगी। स्कॉलरशिप में कहीं भी कोई समस्या नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर समस्या कहीं आती है, तो loans में आती है। अक्सर आप लोगों को ऐसा लगता है और खेद भी व्यक्त किया गया है कि हम कितना लोन दे पा रहे हैं। हम तो priority sector loans दे रहे हैं, उनको लेकर एक प्रश्न उठता है कि ये किसको मिल रहे हैं? जो काम आपने MCDs में किया है, जो 3,000 करोड़ रुपया, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वह किसको जा रहा है? MCDs में 90 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय की है। जब हम MCDs में पैसा खर्च करते हैं, तो वहां वे उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं? मैं समझता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। हां, अगर सड़क बन रही है, तो सड़क बनाकर हम यह नहीं कह सकते कि इस पर सिर्फ मुसलमान या ईसाई चलेंगे। सड़क पर हर हिंदुस्तानी चलेगा और सड़क वहां बनेगी, जहां मुसलमान, ईसाई, Zoroastrian, Buddhists ज्यादा रहते हैं, सिख ज्यादा रहते हैं, वहां पर सड़क अवश्य बनेगी। हमारी ओर से सड़क वहां नहीं बनेगी, जहां पर इन लोगों की आबादी कम है, लेकिन हम यह मानकर चलें कि सिर्फ हम ही इनके लिए सड़क नहीं बनाएंगे, दूसरे लोग भी इनके लिए सड़क बनाएंगे, हमारा दूसरा मंत्रालय भी इनके लिए सड़क बनाएगा। इसलिए 11 ऐसे मंत्रालय हैं, जिनके लिए हम targeting कर देते हैं कि उनके मंत्रालय से कम से 15 प्रतिशत फायदा अल्पसंख्यकों को जाना चाहिए। वे फिगर्स हमारे पास हैं और मैं समझता हूं कि हमने 90 परसेंट ऐसे targets fix किए हैं, जहां 15 परसेंट वाला target हम हर साल पूरा करते हैं। हर क्वार्टर में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इन targets की समीक्षा करती है और उसके बाद ये सेक्रेटरीज़ की कमेटी में जाते हैं और फिर दोबारा ये सारे लक्ष्य जो पूरे हुए या पूरे नहीं हो पाए, ये कैबिनेट

के सामने रखे जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम यह सब सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, क्या हम यह सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, क्या हम यह सिर्फ ईसाइयों और सिख बिरादरी के लोगों के लिए कर रहे हैं? हमारा जवाब है कि हम पूरे समाज के लिए यह करना चाहते हैं और हम पूरे समाज को इकट्ठा और एकत्र करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई पीछे रह जाता है। जो पीछे रह जाता है, उसका हाथ थामना पड़ता है। हाथ किस-किस का थामना है, कैसे थामना है, कहां थामना है, यह सब कानून और हमारा कांस्टीट्यूशन हमें बताता है। कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि आपने बहुत देर तक हाथ थाम लिया, कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि आपने हाथ थामा ही नहीं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आप गोद में बिठा रहे हैं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आप कंधे पर लाद रहे हैं, कभी-कभी आप कहते हैं कि आपने पीछे छोड़ दिया। तो समय-समय पर इसकी समीक्षा होगी और हमें समय-समय पर correctives लगाने होंगे कि हमने जो लक्ष्य बनाया था, हमने उसको achieve कर लिया है या हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है? मैं आपसे यह विनती करता हूं कि यह सेहरा बांधने की बात नहीं है, यह किसी को दूल्हा बनाने की बात नहीं है। अब चुनाव नहीं है, हमें यहां सिर्फ यह तय करना है कि कभी आप और अभी हम, इस देश के मुखिया बनकर इस देश को चलाएंगे।

और इस देश को चलाने के लिए, यह देश कैसा हो, कितना उज्ज्वल हो, इस देश में लोग कितने सुखी हों, जो हमारे बीच की दरारें हैं, वे कैसे समाप्त हों, ऊंच-नीच की जो दूरी है, वह कैसे समाप्त हो? तो हरेक को ऐसा अवसर मिले कि हर व्यक्ति यह कह सके कि हां, हम खुशहाल हैं, हम अपने देश के लिए योगदान भी देते हैं, हम देश की सेवा भी करते हैं और देश हमारी देख-रेख और देखभाल भी करता है।

महोदय, मैं मानता हूं कि जब लोकतंत्र में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच कभी ऐसा लगता है कि बहुसंख्यकों ने बहुत ज्यादा ले लिया, तो अल्पसंख्यकों की शिकायत आती है। कभी बहुसंख्यकों को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो उनकी भी शिकायत आती है। यह हम संवाद से दूर कर सकते हैं। एक-दूसरे पर कोई आरोप लगाकर या अंगुली उठाकर हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं, न हम हम कर पाएंगे, इसलिए हम सब संवाद से इस समस्या का निराकरण करें। समस्या का निराकरण करना है क्योंकि हम सब संविधान से जुड़े हैं। यह कांग्रेस पार्टी या यू.पी.ए. का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे संविधान का कार्यक्रम है। हमारा संविधान यह कहता है कि इस देश के कुचले, पिछड़े और शोषित वर्ग के जो भी लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। कुछ को संविधान ने identify किया, कुछ को संविधान ने व्यवस्था बनाकर दी। कहीं पर संविधान ने यह कहा कि समय-समय पर सरकार और पार्लियामेंट इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है और इस व्यवस्था में जिसको जोड़ना है, उसको जोड़ ले, जिसको घटाना है, उसको घटा ले, लेकिन समय-समय पर यह फैसला उसने हम पर छोड़ा है और हमें जो समझ आता है, हमारे जो अनुभव हैं और जो आदेश हमें जनता से प्राप्त होते हैं, आप और हम मिलकर उनको आगे लेकर चलते हैं। विवाद होते हैं, तो हम विवादों का समाधान यहां निकालने का प्रयास करते हैं। समाधान निकलते भी हैं और खुशी की बात यह है कि समाधान निकलेंगे।

महोदय, हमारे बी.जे.डी. के उड़ीसा के सदस्य ने कहा कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट को हम लेते हैं पच्चीस **...(व्यवधान)...**

श्री तारिक अनवर : एक सुझाव आया था कि यूनिट को डिस्ट्रिक्ट के बजाय...

श्री सलमान खुर्शीद : मैं बता रहा हूं। तो जो स्कीम है, उसमें जहां अल्पसंख्यकों की पच्चीस प्रतिशत आबादी है, वहां हमने डिस्ट्रिक्ट को लिया और अगर बीस प्रतिशत है, लेकिन पांच लाख की आबादी है, तो उसको भी हम सम्मिलित करते हैं और ऐसे 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि उनमें ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स वे हैं, जो मुसलमानों के हैं। 66 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, लेकिन यह माना गया है और

[श्री सलमान खुर्शीद]

लोगों का अनुभव यह रहा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट का चयन तो कर लिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां अगर आप ज्यादा फोकस करें और concentrate करें, तो बेहतर होगा। प्रयास यही होता है ओर हम चाहते हैं कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने या जो भी हम MsDP में दें, वह उसी क्षेत्र में जाए, लेकिन कभी उस क्षेत्र में भूमि नहीं मिल पाती, कभी उस क्षेत्र में कोई और समस्या होती है। यह भी संभव है कि प्रान्त की सरकार पूरी तरह से अपना सहयोग न दे, इसलिए अब 12th Plan के लिए हमने प्लानिंग कमिशन को एक सुझाव दिया है। एक सुझाव तो यह है कि आबादी 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दें, क्योंकि अल्पसंख्यकों के मामले में हर जगह 15 प्रतिशत ही माना गया है और स्टैंडिंग कमेटी ने भी हमें यह परामर्श दिया है। अब यह संभव होगा या नहीं होगा, यह तो जब प्लानिंग कमीशन का फैसला आएगा और आपके सारे नेतागण वहां रहेंगे, तभी हमें यह पता चल पाएगा, लेकनि दूसरा प्रस्ताव यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट को न लेकर हम ब्लॉक को ले लें और ब्लॉक को लेने में यह संभव है कि आज जो uncovered districts हैं, उनके कुछ ब्लॉकों में हम पहुंच जाएंगे और हमारे वे ब्लॉक अवश्य कवर हो जाएंगे।

एक बात यह उठी कि आप इसकी निगरानी कैसे करते हैं, इसकी monitoring कैसे करते हैं? मैं मानता हूं और हमारे नक़वी भाई ने यह भी कहा कि monitoring करने के लिए कमेटी की बैठक नहीं होती। अभी हनुमंत राव जी ने यह कहा कि हमको तीन बार कलेक्टर ने कहा कि monitoring की बैठक करेंगे, लेकिन नहीं की। जब मैं मंत्री बना था, उस समय MPs और MLAs का इसमें कोई रोल ही नहीं था। हमने MPs और MLAs को इसमें involve किया। MPs को उनके अपने क्षेत्र और राज्य सभा के MPs को उनके प्रान्त के किसी क्षेत्र की निगरानी में हमने सम्मिलित किया, लेकिन मैं समझता हूं कि उचित यह होगा कि जिस तरह से और निगरानी समितियां हमारी व्यवस्था में हैं, वैसे Fifteen Point Programme की निगरानी समिति की अध्यक्षता भी MP करे, तो बेहतर होगा।

यह प्रस्ताव भी हमने प्लानिंग कमीशन के सामने अगली स्कीम के लिए रखा है, लेकिन National Level Monitors, वे लोग जो पदमुक्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनको trained करके **...(व्यवधान)...**

SHRI P. RAJEEVE : Is there any time-frame for convening the meeting of the Monitoring Committee?

SHRI SALMAN KHURSHEED : There is no specific time-frame. We expect that in every three months the meeting should be held. Wherever there is an MCD, Minority Concentrated District, the plan that we have to pay money for, has to come from that Committee. और अगर कमेटी की बैठक नहीं होती है तो फिर वह प्लान हमारे पास नहीं आएगा। फिर प्रश्न यह उठाया जाता है that Rs.3,000 crores were given by you, but you have released only Rs. 2,000 crores. But we can't release the money to a State or a district that is not sending us the plan which can be approved.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala) : Our experience, in Kerala, is that the Committees were constituted one year ago. But no meeting was held. Not a single meeting was held in Kerala. We are all supposed to be members of the Committee in two or three districts.

SHRI SALMAN KHURSHEED : I have a little difficulty there. I urge and write and I even go and request the Chief Ministers. I write and urge. But I have no option today to say that if you don't hold the meeting, I will stop the money. I have no option to say that if you don't hold the meeting, I will come and hold the meeting. We have to have some sense of cooperation between the Centre and the State. I do believe that this is important for the State as well. But, sometimes, they are overtaken by other issues or more urgent and pressing things. But I will request all the hon. Members here, please use everything at your command to persuade your State and your Government to ensure that, both at the State level and at the Central level, these issues are resolved and that the meeting takes place regularly not only to monitor but also to propose some useful things to us. There are many other proposals that have been made here. One proposal is about the Central Forces which Ram Kripalji made. He has also made a proposal about the Kendriya Vidyalayas. As soon as I send you the details you will see कि हर मंत्रालय में, हर कार्यक्रम में प्रयास यह किया जाता है कि inclusion हो, सब लोगों को सम्मिलित किया जाए, उसमें किसी को बाहर न रखा जाए, लेकिन ज्यादा ध्यान माइनॉरिटीज़ को दें, यह मानकर कि वे ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं और उनको हमें साथ लाना है। Let me say this to you that, unfortunately, in the scheme of things, in Kerala, every district is above the national average in terms of development. What we do is we give only to those districts that have 25 per cent population, but are below the national level on those main indices that we have created. So, Kerala, unfortunately, does not get the benefit of MCD. So, in the revised plan, possibly, States like Rajasthan where the population is low and States like Kerala where the population is high, but the development index is also high, maybe, we will be able to find some *via media* in which at least some of these programmes...

SHRI P. RAJEEVE : We are the victim of development, Sir.

SHRI SALMAN KHURSHEED : You are the victim of your good fortune to be what you are. Everyone wants to learn from you. If the whole country becomes like Kerala, then we will not need programmes like this. Then we can do some other programmes. ...(*Interruptions*)... एक बात यह कही गयी कि बजट बहुत कम है। **...(व्यवधान)...**

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैंने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, पोस्ट की कमी है **...(व्यवधान)...**

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आप इसका टाइम बढ़ा दीजिए क्योंकि 6 बजने में पांच मिनट रह गए हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री राम कृपाल यादव : बिहार में जो पैसा आपने दिया है, वह खर्च नहीं हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया आप उसको देखिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No more questions. ...(*Interruptions*)...

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं सिर्फ एक बात कह दूं। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Ram Kripalji, you have put your questions. Additional questions can be written to the Minister, not now. You write to the Minister.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सभी सदस्यों के प्रश्नों जवाब दिया है। चूंकि अभी इतना समय नहीं है, कुछ जवाब ऐसे होंगे, जिनका जवाब माननीय मंत्री जी अभी नहीं दे सकते इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि मंत्री जी इस बारे में लिखित रूप से विस्तार में सबको सूचना दे दें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Let him complete. Are you yielding?

श्री हुसैन दलवई : मंत्री महोदय, मैंने एक सवाल उठाया था। जो गरीब मुस्लिम हैं, उनके लिए आश्रम की तरह कम से कम हर जिले में एक-एक रेज़िडेंशियल स्कूल बनाने के बारे में मैंने कहा था। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया ऐसा करिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Are you yielding to Mr. Adeeb?

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैंने माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो अच्छे सुझाव हैं, उन पर हम विचार करेंगे। अगर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में इन्क्लूड कर सकते हैं, तो करेंगे। जो प्रश्न हैं, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन अंत में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र नक़वी साहब ने यह कहा था कि जब प्रश्न उठा था, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये और अब तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (प्रो पी.जे. कुरियन) : अब तो विस्तार से जवाब दे दिया।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अदीब : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन क्लेरिफिकेशन्स पूछना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

†[**جناب محمد ادیب :** اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں دو-تین کلیریفکیشن پوچھنا چاہتا ہوں ...(مداخلت)...]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Are you yielding to Shri Adeeb?

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : He is the initiator, so I am allowing him.

श्री मोहम्मद अदीब : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति के बाद कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने तीन सवाल पूछे थे। जो 13 मंत्रालय आपसे गवर्न्ड होते हैं, आपकी मिनिस्ट्री उनकी नोडल मिनिस्ट्री है,

---

† Transliteration in Urdu Script.

मिसाल के तौर पर गरीबों को कुछ मकान मिलते हैं, आंगनबाड़ी की स्कीम्स हैं, दूसरी जितनी स्कीम्स हैं, जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भर्ती का मसला है, इनकी क्या डिटेल आप बाइफरकेट करके हाउस को देंगे कि कितने लोग कहां से आये? कितने परसेंट लोन कहां पर दिया गया?

†[**جناب محمد ادیب :** اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں آپ کی اجازت کے بعد کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تین سوال پوچھے تھے۔ جو 13 منترالیہ آپ سے گوورنڈ ہوتے ہیں، آپ کی منسٹری ان کی نوڈل منسٹری ہے، مثال کے طور پر غریبوں کو کچھہ مکان ملتے ہیں، انگن واڑی کی اسکیمس ہیں، دوسری جتنی اسکیمس ہیں، جو 15 نکاتی پروگرام کے تحت بھرتی کا مسئلہ ہے، ان کی کیا ڈٹیل آپ bifurcate کرکے ہاؤس کو دیں گے کہ کتنے لوگ کہاں آئے؟ کتنے فیصد لون کہاں پر دیا گیا؟]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : That is all. You just put your question.

श्री मोहम्मद अदीब : सर, मेरे क्वेश्चन्स का जवाब नहीं आया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप मॉइनारिटी की स्टैंडिंग कमेटी बनाने के बारे में सोचेंगे? तीसरा सवाल यह है कि जितने क्रिश्चिन्स के और मुसलमानों के डायरेक्ट स्कूल 50-100 साल के exist कर रहे हैं, क्या आप उनको डायरेक्ट फंडिंग देकर ऊपर बढ़ाने का प्रयास करेंगे? अगर आप उनको डायरेक्ट पैसा देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के हर जिले में इस्लामिया स्कूल खुले हुए हैं, वे खिसक रहे हैं, अगर आप उनको फंडिंग करे डिग्री कालेज, लॉ कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में तब्दील करें, तो इससे मुसलमानों के मसायल हल होंगे और क्रिश्चियन्स तथा माइनॉरिटीज़ को इससे फायदा होगा।

†[**جناب محمد ادیب :** سر، میرے کونشچن کا جواب نہیں آیا ہے، میرا پرشن یہ ہے کہ کیا آپ مائنارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کے بارے میں سوچیں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جتنے کرشچن کے اور مسلمانوں کے ڈائریکٹ اسکول 100-50 سال سے exist کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ دے کر اوپر بڑھانے کا پریاس کریں گے؟ اگر آپ ان کو ڈائریکٹ پیسہ دیتے ہیں، جیسے اتر پردیش اور بہار کے ہر ضلع میں اسلامیہ اسکول کھلے ہوئے ہیں، وہ سسک رہے ہیں، اگر آپ ان کو فنڈنگ کرکے ڈگری کالج، لاء کالج، انجینئرنگ کالج میں تبدیل کریں، تو اس سے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے اور کرشچئن و مائناررٹیز کو اس سے فائدہ ہوگا۔]

† Transliteration in Urdu Script.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : हो गया।

श्री मोहम्मद अदीब : सर, जवाब नहीं आया।

†[**جناب محمد ادیب :** سر، جواب نہیں آیا۔]

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, no. No more questions. No, you are not allowed. I have allowed him because he was the initiator. You are not allowed to speak. आप बैठ जाइए।

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं माननीय सदस्य को जवाब दे देता हूं कि वक्फ का जो मामला है, उसकी सलेक्ट कमेटी से **...(व्यवधान)...**

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : सर, माननीय मंत्री जी ने **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No, please. You did not speak. You are not allowed.

श्री सलमान खुर्शीद : सर,जो वक्फ का मामला है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आ गई है। बहुत जल्द आपके सामने, हाउस के सामने वक्फ का बिल आयेगा और उसमें जो इनकी चिंता है, उस चिंता का हम लोगों ने कुछ निराकरण निकाला है। **...(व्यवधान)...** जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उनके एक-एक बिंदु का विस्तार से जवाब भी दूंगा और अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम यू हीं साथ देने का वायदा करो ओर मैं यू ही नगमें सुनाता रहूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : The House is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th May, 2012.

---

† Transliteration in Urdu Script.